

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 12/05/22

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 10 जिलों (अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर) की 14 नगरीय निकायों में 17 सदस्यों के उप चुनाव माह मई, 2022 में करवाये जा रहें है (प्रति सलग्न)। अतः मतदान दिवस दिनांक 29.05.2022 (रविवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(1)नपा/रानिआ/ 2022/ 9204

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

दिनांक : 13.05.22

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राजस्थान
राज्य निर्वाचन आयोग